न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 59/2015

अपीलांट

1. उकाराम गोदपुत्र फौजाराम
2. गणेशाराम पुत्र धर्मा
3. जोईता पुत्र धर्मा
4. चम्पालाल पुत्र दीपा
5. वीनाराम पुत्र दीपा
6. लेहरा पुत्र दीपा
7. केलाराम पुत्र दीपा
8. मु मारू बेवा दीपा
9. बाबुडा पुत्र जोईता जातियान कुम्हार निवासीगण बैरठ तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मनोहरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बैरठ तहसील व जिला जालोर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री श्रवण सिसोदिया विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

59/2015

उकाराम वगैरह बनाम मनोहरसिंह

पेज संख्या 2/4

–: निर्णय :–

दिनांकः–

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 47/17 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रूप से अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 801 एवं 788 में से 20 फीट चौडाई की भूमि रास्ता हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। जबकि सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में खसरा नम्बर 784/1038 उपलब्ध है जो कि इनके भाई बंट का खसरा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर किसी प्रकार का विचार किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां सुविधाजनक मार्ग नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं समुचित जांच किऐ बिना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से रिपोर्ट तलब की गई, उसमें तहसीलदार ने यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा बैरठ पटवार हल्का बैरठ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाकरा तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 792 रकबा 4.9800 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की भूमि में आवागमन हेतु उकाराम गोद पुत्र फौजाराम, गणेशा, जोईता पिसरान धर्मा, चम्पालाल, वीनाराम लेहरा, केलाराम पिसरान दीपा मु. मारू बेवा दीपा, बाबूडा वल्द जोईता की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 801 रकबा 2.21 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 788 रकबा 3.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं तहसीलदार जालोर से रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "इवसनजम necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 47/17 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर